

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 अटल सेवा केन्द्र सरली
क्रमांक रीडर/2018/ दिनांक -

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 गणपतसिंह पुत्र भगवानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मूले का तला (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-17/2018 दिनांक-03.05.2018

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूले का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 391 रकबा 0.07 बीघा खसरा संख्या 635/392 रकबा 63.12 बीघा कुल रकबा 63.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




क्रमांक-रीडर/2017/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गणपतसिंह पुत्र भगवानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मूले का तला (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक-


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर